न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –37/2011 जिला सीकर

महावीर पुत्र बालू (मृतक दौराने अपील)
1/1 महेश
1/2 नरेश
पुत्रान महावीर प्रसाद जाति सैनी ग्रम कंवरपुरा रोड बाईपास के आगे, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
1/3 सुशीला पुत्री महावीर प्रसाद पत्नि विनोद, जाति सैनी निवासी ग्रम राधाकिशनपुरा, तहसील सीकर ।
1/4 सोनिया पुत्री महावीर प्रसाद पत्नि रणजीत, जाति सैनी निवासी ग्रम बगड, तहसील व जिला झुंझुंनू ।
1/5 माया पुत्री महावीर प्रसाद पत्नि सुरेन्द्र, जाति सैनी निवासी ग्रम फिरोजी की ढाणी सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र माधा
2. रामेश्वर पुत्र माधा
समस्त जाति माली, निवासी राय जी के कुवे के पास सीकर तहसील व जिला सीकर ।
3. माना देवी बेवा गणेश (नाम हजफ)
4. जुगल किशोर पुत्र गणेश
5 नन्द किशोर पुत्र गणेश
6. शिव भगवान पुत्र गणेश
7. गोपाल पुत्र गणेश
8. शंकर लाल पुत्र गणेश
9. पाना देवी पत्नि राधेश्याम
10. गिरधारी पुत्र राधेश्याम
11. ताराचन्द पुत्र राधेश्याम
12. सीमा पुत्री राधेश्याम
13. मैना पुत्री राधेश्याम
14. अनीता पुत्री राधेश्याम
15. मनीषा पुत्री अनिल कुमार
16. बबीता पुत्री अनिल कुमार
17. शारदा पत्नि अनिल कुमार
समस्त जाति सैनी, ग्रम कवरपुरा रोडबाईपास के आगे सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
18. नवल पुत्र पोखर
19. बरजी पत्नि नाथू (नाम हजफ)
समस्त जाति माली, निवासी राय जी के कुवे के पास सीकर, तहसील व जिला सीकर ।
20. तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ।
21. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुख्य शाखा सीकर जरिये प्रबन्धक ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 7.7.2011

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजेश रूहेला

निर्णय

दिनांक– 01.08.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 7.7.2011 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट जगन्नाथ एवं रामेश्वर पुत्रान माधा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि ग्रम नानी, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 453 पर काबिज काश्तकार हुकमा जाति माली था । खसरा नम्बर 453 के चार हिस्से किये गये । संवत 2020 से 2023 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 453/1 तथा खसरा नम्बर 453/3 कालू पुत्र हुकमा के नाम तथा खसरा नम्बर 453/4 नत्थू के नाम एवं खसरा नम्बर 453/2 माधा पुत्र हुकमा के नाम खातेदार के रूप में अंकित किये गये हैं । प्राथी जगन्नाथ एवं रामेश्वर माधा के उत्तराधिकारी है, जो पुराने आराजी खसरा नम्बर 453/2 पर 40–50 वर्षों से काबिज है जिसके नये खसरा नम्बर 1062 बने हैं । पुराने खसरा नम्बर 453/1 व 453/3 की भूमि कालू पुत्र हुकमा के नाम दर्ज है जबकि यह रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 16 की खातेदारी की आराजी है जिस पर मकान बना कर आवास कर रहे हैं एवं काश्त कर रहे हैं । पुराने खसरा नम्बर 453/1 व 453/3 के वर्तमान खसरा नम्बर 1073 व 1074 बने हैं, लेकिन इनके स्थान पर बन्दोबस्त में वादीगण के वर्तमान खसरा नम्बर 1062 गलत कायम कर दिये गये । अतः वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1062 अंकित कर खसरा नम्बर 1073 व 1074 हजफ किये जावे एवं प्रत्यार्थी संख्या 1 से 16 की खातेदारी में गलती से अंकित खसरा नम्बर 1062 को हजफ करके उसके स्थान पर खसरा नम्बर 1073 व 1074 अंकित किये जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.7.2011 द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 1062, पूर्व खसरा नम्बर 453/2 से बनने एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1073 व 1074, पूर्व खसरा नम्बर 453/3 से बनने के कारण वर्तमान खसरा नम्बर 1073, 1074 अप्रार्थी संख्या 1 से 16 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1062 प्रार्थीगणों के नाम खातेदारी दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये । उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 7.7.2011 के खिलाफ अपीलान्ट महावीर पुत्र बालू द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 7.7.2011 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1061, 1062 की खातेदारी अपीलान्ट महावीर पुत्र बालू हिस्सा 1/3 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 लगायत 17

हिस्सा 2/3 के नाम दर्ज है । खसरा नम्बर 1073 व 1074 के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 है । पुराने खसरा नम्बर 453 के टुकडे हुये जिनमें खसरा नम्बर 453/3 अपीलान्ट की खातेदारी में व इसके हाल खसरा नम्बर 1062 की खातेदारी भी अपीलान्ट के नाम दर्ज है । खसरा नम्बर 453/2 की खातेदारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होकर हाल खसरा नम्बर 1073 व 1074 की खातेदारी व कब्जेदारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की है । साबिक व हाल रिकार्ड के मिलान करने से प्रकरण दुरूस्ती योग्य नहीं था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि यह प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कवर नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कवर होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को 136 के तहत निर्णित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी अनुसार बुजुर्गों के समय से ही काबिज काश्त है, लेकिन खसरा नम्बर 1062 के पास सडक होने के कारण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के मन में लालच आने से प्रार्थना पत्र पेश कर तहसीलदार से विपरीत रिपोर्ट करवाकर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम नानी के वर्तमान खसरा नम्बर 1062 पुराने खसरा नम्बर 453 /2 से बना है तथा खसरा नम्बर 1073 व 1074 पूर्व खसरा नम्बर 453/1 व 453/3 से बने हैं, लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने मिलान क्षेत्रफल बनाने में वर्तमान खसरा नम्बर 1073 व 1074 को पुराने खसरा नम्बर 453/2 से ओर वर्तमान खसरा नम्बर 1062 को पूर्व खसरा नम्बर 453/1 व 453/3 से बनना दिखाकर खातेदारी दर्ज करने में गलती है, जिसे दुरूस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.7.2011 द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर वर्तमान खसरा नम्बर 1073, 1074 अप्रार्थी संख्या 1 से 16 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1062 प्रार्थीगणों के नाम खातेदारी दुरूस्त करने के आदेश दिये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद रेस्पोंडेन्ट जगन्नाथ एवं रामेश्वर पुत्रान माधा के प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.7.2011 द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 1062, पूर्व खसरा नम्बर 453/2 से बनने एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1073 व 1074, पूर्व खसरा नम्बर 453/3 से बनने के कारण वर्तमान खसरा नम्बर 1073, 1074 अप्रार्थी संख्या 1 से 16 तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1062 प्रार्थीगणों के नाम खातेदारी दुरूस्त किये जाने के संबंध में है । अपीलान्ट के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति है कि "यह प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कवर नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कवर होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को 136 के तहत निर्णित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि पक्षकारान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी अनुसार बुजुर्गों के समय से ही काबिज काश्त है, लेकिन खसरा नम्बर 1062 के पास सडक होने के कारण रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के मन में लालच आने से प्रार्थना पत्र

पेश कर तहसीलदार से विपरीत रिपोर्ट करवाकर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो विधिविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है'' ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 1062 पूर्व खसरा नम्बर 453/3 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा से तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1073, 1074 पूर्व खसरा नम्बर 453/2 मि. रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा से बने हैं जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने रेस्पोंडेन्ट जगन्नाथ वगैहरा के प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अपीलाधीन आदेश 7.7.2011 पारित कर वर्तमान खसरा नम्बर 1062 पूर्व खसरा नम्बर 453/2 से बनना एवं वर्तमान खसरा नम्बर 1073, 1074 पूर्व खसरा नम्बर 453/3 से बनना मानते हुये वर्तमान खसरा नम्बर 1073, 1074 अप्रार्थी 1 से 16 महावीर वगैहरा जो इस अपील में अपीलान्ट महावीर एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 से 17 है, के नाम तथा वर्तमान खसरा नम्बर 1062 प्रार्थीगणों जगन्नाथ व रामेश्वर जो इस अपील में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 है, के नाम खातेदारी दुरूस्त की है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख में हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है जबकि इस प्रकरण के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलाधीन आदेश से पक्षकारान में खसरा नम्बर परिवर्तित कर दिये, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । रेस्पोंडेन्ट्स को यदि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बरान से बनाये गये वर्तमान खसरा नम्बरान के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिये थी । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.7.2011 उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । रेस्पोंडेन्ट्स सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अपने अधिकारों की घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 7.7.2011 खारिज किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर